

निर्णय बड़जलास अर्चना चौधरी, सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण संख्या -83/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक - 04/08/2023
निर्णय दिनांक -18/12/2024

अनवान

1. केसा पिता वजा जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. जेटूसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. डाली पुत्री गोदसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. तिलोकसिंह पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
5. दलपतसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. भाना पिता वजा जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
7. सवाईसिंह पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
8. सोहनसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. सोहनसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी सैण्डखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. गंगादेवी पत्नी पूरणसिंह रावत निवासी भादसी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारीलाल पिता पन्नालाल प्रजापत निवासी घाटी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. शंकरसिंह पिता केसरसिंह जाति रावत निवासी घाटी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. गोपाल पिता चन्दनलाल जाति प्रजापत निवासी घाटी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द


4. चांदी पत्नी हजारीलाल कलाल निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम
:: निर्णय ::

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि ग्राम सैण्डखेडा, पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 04 खसरा संख्या 42, 43 कुल किता 02 कुल रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की होकर प्रार्थीगण इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कुलिया आराजियात पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरा करते चले आ रहे हैं किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर कि पक्की बाउन्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण के उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पडौसी है हर समय प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हैं जिससे फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ रहा है मौके पर अशांति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक भूमि पर काश्त, उपयोग, उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है, प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से विपक्षीगण की भूमि मिलती हुई है व विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी है विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य भूमि सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बता कर नाजायज




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

केसा व अन्य बनाम हजारीलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 83/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-18/12/2024

अतिक्रमण करने की मंशा रखते हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिससे भूमि संबंधी विवाद समाप्त हो जावे। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थीगण को फसलों की बुआई व कटाई के समय विपक्षीगण से सीमा बाबत् जो विवाद बना रहता है वह हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगैरा व भूमि का उपयोग कर सकेगा। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी पेश किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे की उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 एवं 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :-

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

केसा व अन्य बनाम हजारीलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:- 83/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-18/12/2024


(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम सैण्डखेडा, पटवार हल्का लसानी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 04 खसरा संख्या 42 एवं खसरा संख्या 43 कुल किता 02 कुल रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शों के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द